

## रूह कंपा देने वाली घटना! पुणे में मासूम 8वीं के छात्र का यौन शोषण, बच्चों को कोचिंग भेजते हैं तो तुरंत पढ़ें!

### वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> मुख्य अपडेट्स...
- >> कैसे सामने आया यह दिल दहला देने वाला मामला?...
- >> कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही और सुरक्षा के सवाल...
- >> अभिभावकों के लिए चेतावनी और सुरक्षा के उपाय...
- >> कानूनी प्रावधान और कार्रवाई का महत्व...
- >> समाज की सामूहिक ज़िम्मेदारी...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न...

पुणे, महाराष्ट्र में एक बेहद ही वचिलित करने वाली और रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे अभिभावक वर्ग को झकझोर कर रख दिया है। यह खबर हर उस माता-पिता के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद में कोचिंग क्लासेस भेजते हैं। पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में स्थित एक नज़ी कोचिंग क्लास में 8वीं कक्षा के एक मासूम छात्र के साथ यौन शोषण का मामला उजागर हुआ है। इस घटना को अंजाम देने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसी कोचिंग क्लास का ऑफिस बॉय था, जिसने छात्र के विश्वास और innocence का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया। यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक गंभीर चिन्ता का विषय है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितने सजग हैं और जिन स्थानों पर हम उन्हें सुरक्षित समझते हैं, क्या वे वास्तव में सुरक्षित हैं?

पुणे में 8वीं के छात्र का कोचिंग क्लास के ऑफिस बॉय द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी विकास गायकवाड़ (35) ने छात्र को स्टोर रूम में बहला-फुसलाकर उसके नज़ी अंगों की तस्वीरें भी लीं। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना अभिभावकों के लिए बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है।

### मुख्य अपडेट्स

- >> पुणे के मार्केट यार्ड स्थित एक नज़ी कोचिंग क्लास में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ यौन शोषण।
- >> कोचिंग के ऑफिस बॉय विकास गायकवाड़ (35) ने छात्र को स्टोर रूम में बहला-फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया।
- >> आरोपी ने छात्र के नज़ी पार्ट्स की तस्वीरें भी लीं।
- >> पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, आगे की कार्रवाई जारी।

यह घटना जनवरी से ही चल रही थी, लेकिन मासूम छात्र डर के मारे अपने माता-पिता को कुछ बता नहीं पा रहा था। कोचिंग क्लास में लगातार

दो-तीन साल से जा रहे इस छात्र के साथ ऑफिस बॉय विकास गायकवाड़ने दोस्ती का नाटक किया और उसे बहला-फुसलाकर स्टोर रूम में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। यह कतिना भयावह है कि जिस जगह बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वही वे ऐसे राक्षसों का शिकार हो जाते हैं।

## कैसे सामने आया यह दलि दहला देने वाला मामला?

पीड़ित छात्र ने घर आकर अपने माता-पिता के सामने फूट-फूटकर रोना शुरू कर दिया। जब उसने कोचिंग क्लास जाने से इनकार करना शुरू किया, तो उसके पिता को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। एक बच्चे का स्कूल या कोचिंग जाने से मना करना अक्सर एक बड़ा संकेत होता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। यही सतर्कता इस मामले में भी काम आई। छात्र के पिता ने गहराई से जांच करने का फैसला किया और पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट का दौरा किया। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपने बच्चे से धीरे-धीरे बात करने की कोशिश की।

माता-पिता की निरंतर कोशिशों और विश्वास दिलाने के बाद, मासूम छात्र ने हमिमत जुटाई और अपनी आपबीती सुनाई। अपने बच्चे की आपबीती सुनकर माता-पिता के पैरों तले जमीन खसिक गई। उन्होंने तुरंत बनि कोई देर कटिमार्केट यार्ड पुलिस स्टेशनमें शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की और 35 साल के आरोपी ऑफिस बॉय विकास गायकवाड़को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित एक कड़ा कानून है। पुलिस ने इस मामले में आगे की वसितृत जांच शुरू कर दी है।

## कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही और सुरक्षा के सवाल

यह घटना सिर्फ पुणेकी नहीं, बल्कि देश भर के उन सभी कोचिंग संस्थानों और शैक्षणिक प्रतिष्ठानों पर सवाल उठाती है, जहां लाखों बच्चे अपना भविष्य संवारने जाते हैं। क्या इन संस्थानों की अपने छात्रों की सुरक्षा के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? क्या वे अपने कर्मचारियों के बैकग्राउंड चेक करते हैं? इन सवालों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। एक ऑफिस बॉयजिस बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, वही अगर दरदि बन जाए तो ऐसे में बच्चों के माता-पिता किस पर भरोसा करें?

## अभिवक्तों के लिए चेतावनी और सुरक्षा के उपाय

ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अभिवक्तों को अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए:

>> बच्चों से संवाद बनाए रखें: अपने बच्चों से हर बात पर खुलकर बात करने का माहौल बनाएं। उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे किसी भी समस्या या असामान्य अनुभव के बारे में आपको बनि किसी डर के बता सकते हैं।

>> व्यवहार में बदलाव पर ध्यान दें: अगर आपका बच्चा अचानक चड़िचड़ि हो जाए, चुप रहने लगे, स्कूल या कोचिंग जाने से मना करे, या

उसके सोने-खाने के पैटर्न में बदलाव आए, तो तुरंत ध्यान दें और उससे प्यार से बात करने की कोशिश करें।

>> शक्तिषण संस्थानों की जांच:किसी भीकोचगि क्लास या स्कूलमें दाखला कराने से पहले, उसकी प्रतष्ठा, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के बारे में पूरी जानकारी लें। स्टाफ के बैकग्राउंड चेक की प्रक्रिया के बारे में पूछें।

>> सुरक्षा नयिमों की जानकारी:बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सखियाएं। उन्हें बताएं किअगर कोई उन्हें असहज महसूस कराता है, तो वे तुरंत वरिध करें और अपने माता-पति या किसी भरोसेमंद बड़े को बताएं।

>> नगिरानी रखें:अपने बच्चे को छोड़ने और लेने जाते समय परसिर का माहौल देखें। किसी भी असामान्य गतविधिपर नजर रखें।

## कानूनी प्रावधान और कार्रवाई का महत्व

पॉक्सो एक्ट 2012 (POCSO Act 2012)भारत में बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए एक मजबूत कानून है। इस कानून के तहत ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों की तुरंत रिपोर्ट की जाए और पुलिस बनिा किसी देरी के कार्रवाई करे।पुणे पुलिसिने इस मामले में त्वरति कार्रवाई करके सही दशिा में कदम उठाया है। ऐसे मामलों में पीड़ति बच्चे की पहचान गोपनीय रखना भी बेहद जरूरी होता है ताकिउसे भवषिय में किसी भी तरह के सामाजकि कलंक या मानसकि आघात से बचाया जा सके।

समुदाय और शक्तिषण संस्थानों को मलिकर काम करना होगा ताकिबच्चों के लिए एक सुरक्षति वातावरण बनाया जा सके।कोचगि सेंटरोंको अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहएि,सीसीटीवी कैमरेलगाने चाहएि, और सभी कर्मचारियों का सख्तपुलसि वेरफिकिशनकराना चाहएि। बच्चों को अकेला या अनुपयोगी जगहों पर न रहने दयिा जाए, खासकर जब स्टाफ के सदस्य मौजूद हों।

## समाज की सामूहकि जमिमेदारी

यह घटना सरिफ एक व्यक्तिका अपराध नहीं, बल्किहमारे समाज के उन अनदेखे कोनों को भी उजागर करती है जहाँ बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दयिा जाता। हर नागरकि, वरिषकर शक्तिषकों, अभिावकों और सामुदायकि नेताओं की यह सामूहकि जमिमेदारी है कि वे बच्चों के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएं। बच्चों को ऐसी स्थतिसे कैसे नपिटना है, इसके लिए उन्हें शक्तिषति करें और उन्हें यह वरिश्वास दलिाएं किउनकी आवाज हमेशा सुनी जाएगी।

यह मामला एक वेक-अप कॉल है, जो हमें याद दलिाता है किबच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमकिता होनी चाहएि। हमें न केवल ऐसे अपराधियों को सजा दलिाने के लिए आवाज उठानी चाहएि बल्किभवषिय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाने चाहएि। आशा है किइस मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मलिेगी और यह अन्य सभी संस्थानों के लिए एक सबक होगा किबच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कयिा जा सकता।

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह मामला पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में स्थिति एक नर्ज़ी कोचगि क्लास में सामने आया है।

आरोपी कोचगि क्लास का ऑफसि बॉय है, जिसकी पहचान 35 वर्षीय वकिस गायकवाड़ के तौर पर हुई है।

पुलसि ने आरोपी ऑफसि बॉय वकिस गायकवाड़ के खलिाफ बच्चों के यौन शोषण से संबंधति पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज़ कयिा है।

अभिविकों को अपने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहएि, उनके व्यवहार में बदलाव पर ध्यान देना चाहएि, शकिषण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था जांचनी चाहएि और बच्चों को गुड टच-बैंड टच के बारे में सखिाना चाहएि।

Reference Official Source:राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)